प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक 09.08.2025

थाना छावनी पुलिस व सर्विलांस टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही द्वारा जनपद बस्ती, अयोध्या, गोण्डा व बाराबंकी में हुए चोरी/ लूट के घटना का सफल अनावरण करते हुए 06 अंतर्जनपदीय अभियुक्तों को चोरी/लूट के मोबाइल, मोटरसाइकिल व अन्य सामान के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना छावनी पुलिस व सर्विलांस टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही द्वारा जनपद बस्ती, अयोध्या, गोण्डा व बाराबंकी में हुए चोरी/ लूट के घटना का सफल अनावरण करते हुए 06 अंतर्जनपदीय अभियुक्तों को चोरी/लूट के मोबाइल, मोटरसाइकिल व अन्य सामान के साथ **दिनांक 09.08.2025 को समय करीब 03.15 AM बजे थाना छावनी क्षेत्रांतर्गत खतमसराय** से गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी से मु0अ0सं0 181/2025 धारा 309(4) BNS थाना छावनी जनपद बस्ती, मु0अ0सं0 465/2025 धारा 303(2) BNS थाना कोतवाली जनपद अयोध्या, मु0अ0सं0 266/2025 धारा 309(2),110,127(2) BNS थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा, मु0अ0सं0 257/2025 धारा 309(6) BNS थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी का अनावरण किया गया।

पुलिस अधीक्षक बस्ती महोदय द्वारा अनावरण करने वाली पूरी टीम को रुपया-25,000/- इनाम दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. दिलीप मौर्या पुत्र आसमी मौर्या निवासी पाठक का पुरवा दशरथकुण्ड थाना अयोध्या कोतवाली जनपद अयोध्या उम्र करीब 21 वर्ष।
2. अजय कुमार पुत्र सन्तोष कुमार निवासी देवकाली ककरहवा थाना कोतवाली जनपद अयोध्या उम्र करीब 19 वर्ष।
3. कृष्णा यादव पुत्र रामभजन यादव निवासी रामपुर भगन थाना बीकापुर पुराकलन्दर जनपद अयोध्या, हा0पता0 धनीराम पुरवा थाना चौक कोतवाली जनपद अयोध्या उम्र करीब 20 वर्ष।
4. रिशु कुमार पुत्र दिनेश कुमार निवासी सनेथू थाना पुराकलन्दर जनपद अयोध्या उम्र करीब 19 वर्ष।
5. हर्षित श्रीवास्तव पुत्र स्व0 अनुप कुमार श्रीवास्तव निवासी श्रीरामपुरम कालोनी देवकाली बाइपास थाना कोतवाली अयोध्या जनपद अयोध्या उम्र करीब 20 वर्ष।
6. सौरभ पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी दर्शननगर कुसमहा थाना दर्शननगर अयोध्या जनपद अयोध्या उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. 12 अदद मोबाइल (8 अदद लूट/चोरी का)। 2 अदद चाकू, 2 अदद डण्डा।
2. घटना मे प्रयुक्त 01 अदद अर्टिगा कार (बिना नम्बर की)। एक अदद नकली पिस्टल, एक अदद पिलास।
3. एक अदद चैन सफेद धातु, एक अदद स्मार्ट वाच (लूट का) व एक अदद वाच सिल्वर कलर (स्वयं का)।
4. एक अदद मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस (चोरी का) संख्या UP42AK9489।
5. कुल नगद 7150/- रुपया।

उपरोक्त 06 अभियुक्तों के विरुद्ध निम्न आपराधिक मामले पंजीकृत हैं-

1.मु0अ0सं0 181/2025 धारा 309(4) BNS थाना छावनी जनपद बस्ती।

2. मु0अ0सं0 465/2025 धारा 303(2) BNS थाना कोतवाली जनपद अयोध्या।

3.मु0अ0सं0 266/2025 धारा 309(2),110,127(2) BNS थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
4. मु0अ0सं0 257/2025 धारा 309(6) BNS थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

घटना/पूछताछ का विवरण:- पकड़े गये अभियुक्तों में दिलीप मौर्या द्वारा बताया गया कि हमलोग एक साथ मिलकर गैंग बनाकर चोरी व लूट जैसी घटना को अंजाम देते है। जो ये अर्टिगा कार है वह मेरी है जिसे मैने तीन माह पहले खरीदा था, हमलोग पकड़े न जा सके इसके कारण मै जान बूझ कर अपनी कार पर नम्बर प्लेट नही लगाता हूं। हमलोग अपनी कार लेकर रात मे निकलते है तथा जनपद अयोध्या के विभिन्न स्थानों पर अपनी कार लगाकर पैसेन्जर का इन्तजार करते है जैसे ही कोई सिंगल पैसेन्जर मिलता है, हमलोग उसे उसी दिशा की तरफ हमलोग भी जाना बताकर पैसेन्जर को अपनी गाडी में बैठा लेते हैं और सुनसान स्थान देखकर उसे डरा, धमका और मार-पीट कर उनके पास जो भी सामान, रुपया पैसा, मोबाइल आदि मिलता है उसको लूट लेते हैं तथा पैसेन्जर को सूनसान स्थान पर छोड़कर भाग जाते हैं। यह काम हमलोग अपने जीविकोपार्जन एंव ऐशो आराम के लिये करते हैं। जो कार मे नकली पिस्टल, चाकू, व बेत मिला है इससे हमलोग पैसेन्जर को डरा धमका कर रुपया पैसा मोबाइल आदि लूट लेते हैं। कड़ाई से पूछने पर दिलीप मौर्या, अजय कुमार, कृष्णा यादव, हर्षित श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.07.2025 को समय 11.00 बजे के आसपास रात में हम चारो लोग अर्टिगा कार के साथ देवकाली बाईपास अयोध्या पर एक व्यक्ति को अपनी कार मे बैठाये वह गोरखपुर जा रहा था, हमलोग उक्त व्यक्ति को कार मे बैठाकर गोरखपुर के लिये चल दिये जैसे ही हमलोग विक्रमजोत पहुचे टोल टैक्स का बहाना बताकर अपनी कार अवधेश ढाबा से बायें तरफ कट कर अमारी रोड की तरफ मोड़ लिये तथा तालागांव पहुंचकर सूनसान स्थान देखकर उस व्यक्ति को मारपीट कर नकली पिस्टल दिखाकर करीब 4520/- रुपया व एक मोबाइल तथा एक बैग जिसमे कपड़ा आदि रखा गया था लूट लिये थे, उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना छावनी पर मु0अ0सं0 181/2025 धारा 309(4) BNS पंजीकृत है। दिनांक 26.07.2025 को हम छः लोग रात मे उक्त अर्टिगा कार से लूट करने के नीयत से निकले थे करीब 9.00 बजे रात मे अपना ढाबा जनौरा पुल सर्विल लाइन अयोध्या के पास एक मोटरसाइकिल UP42AK9489 हीरो स्पलेन्डर प्लस खड़ी थी हमलोग मोटरसाइकिल के पास रुक गये तथा आस पास देखा कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नही था तो हम लोगो ने उक्त मोटरसाइकिल को चोरी करने का नीयत बना लिये कार मे से हर्षित श्रीवास्तव व दिलीप मौर्या उक्त मोटर साइकिल को स्टार्ट करके चुराकर लेकर चले आये थे। उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली जनपद अयोध्या पर मु0अ0सं0 465/2025 धारा 303(2) BNS पंजीकृत है। दिनांक 28.07.2025 को हम 06 लोग रात मे चोरी/लूट करने के नीयत से निकले थे कार मे दिलीप मौर्या, अजय कुमार, कृष्णा यादव, रिशु कुमार बैठे थे कार को दिलीप मौर्या चला रहा था तथा जो हमलोगो ने दिनांक 27.07.2025 को मोटरसाइकिल चोरी किये थे उक्त मोटरसाइकिल को हर्षित श्रीवास्तव ले कर निकला था। मोटरसाइकिल के पीछे सौरभ बैठा था हमलोग रात मे 12.30 बजे के करीब अयोध्या नाका बाइपास पर पहुंचे तो देखा एक व्यक्ति ओवरब्रिज के पास सवारी का इन्तजार कर रहा था। हमलोग पास पहुंचकर उस व्यक्ति को जबरदस्ती गाड़ी मे बैठा लिये तथा उस व्यक्ति को मारते पीटते अकबरपुर थाना नवाबगंज ले आये, हमलोगों के पीछे पीछे हर्षित श्रीवास्तव व सौरभ भी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। हमलोगों ने उस व्यक्ति को नकली पिस्टल दिखाकर मार पीट करके 9000/- रुपया तथा दो बैग जिसमे कुछ कपड़े थे तथा दो मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी तथा वीवो 1907 छीन लिये थे तथा उस व्यक्ति को वहीं पर फेककर भाग गये थे। उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा पर मु0अ0सं0 266/2025 धारा 309(2),110,127(2) BNS पंजीकृत है । दिनांक 04.08.2025 को रात मे दिलीप मौर्या, अजय कुमार, कृष्णा यादव, रिशू कुमार, हर्षित श्रीवास्तव व सौरभ हम लोग चोरी/लूट करने की नीयत से निकले थे एक व्यक्ति अयोध्या सहादतगंज बाइपास पर पुल के नीचे सवारी का इन्तजार कर रहा था। हम लोगो ने कार लेकर उस व्यक्ति के पास पहुचे तथा पूछा कि आप कहा जायेगें तो उस व्यक्ति ने बताया बाराबंकी जाना है हमलोगो ने उस व्यक्ति को कार मे बैठा लिया तथा टोल बचाने का बहाना बनाकर कार को यू टर्न लेकर गांव की तरफ मोड़ दिया तथा उस व्यक्ति को मार पीट कर एक मोबाइल मोटोरोला कम्पनी G62, चांदी का सीकड़, एक स्मार्ट घड़ी लूट लिये तथा उस व्यक्ति को ग्राम अहमदपुर थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी मे उतार कर भाग गये। उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना जैदपुर जनपद

बाराबंकी पर मु0अ0सं0 257/2025 धारा 309(6) BNS पंजीकृत है। इसी तरह से दिनांक 22 या 23.07.2025 को नया घाट अयोध्या से एक आइसक्रिम बेचने वाले व्यक्ति से रेडमी 5G रंग लाइट पर्पल एनड्राइड फोन रात मे हमलोगो ने चुरा लिये थे और दिनांक 28.07.2025 की रात्रि मे सोहावल ब्रिज रौनाही के पास से एक अदद ओप्पो मोबाइल काला रंग दूध बेचने वाले अज्ञात व्यक्ति से छीन लिया था। दिनांक 22/23.07.2025 की रात्रि मे अयोध्या नाका से बात करते हुए जा रहे एक व्यक्ति से वीवो एनड्राइड मोबाइल फोन रंग आसमानी छीन लिये थे। दिनांक 03 या 4.08.2025 की रात्रि मे एक अन्जान व्यक्ति को कामता चौराहा लखनऊ बैठा कर बाराबंकी अहमदपुर टोल प्लाजा के आस पास दो मोबाइल एक रेडमी नीले रंग की खराब अवस्था मे व एक पोको एनड्राइड मोबाइल काला पीला रंग चालू अवस्था मे व कुछ पैसे मार पीट कर छीन लिये थे। हमने जो भी मोबाइल छीनी है उसे छीने हुए एक बैग मे रखकर हर्षित श्रीवास्तव अपने घर के आस पास के बाग मे हमलोगो द्वारा चुराई गयी मोटरसाइकिल के डिग्गी मे सुरक्षित रखे हैं। अभियुक्तों की निशानदेही पर बताये गये स्थान पर पहुंचकर मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखे बैग से उपरोक्त चोरी का सामान बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष छावनी जनार्दन प्रसाद जनपद बस्ती।
2. प्रभारी सर्विलांस सेल शशिकांत जनपद बस्ती।
3. उ0नि0 विंध्याचल प्रसाद, उ0नि0 श्री श्याम सुन्दर, उ0नि0 श्रीहरि राय थाना छावनी जनपद बस्ती।
4. हे0का0 देवेश यादव, हे0का0 सत्येन्द्र सिंह , का0 संतोष यादव सर्विलांस टीम बस्ती।
5. हे0का0 विनोद कुमार यादव, हे0का0 जितेन्द्र मौर्या, हे0का0 रामायणधर दूबे, का0 उपेन्द्र यादव, का0 केशव यादव, का0 संजय यादव, का0 मुकेश यादव, का0 राजू गुप्ता थाना छावनी जनपद बस्ती।